

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 157/2023

अनवान : -

1. शोभाराम पुत्र बेगराज जाति छीपा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. रामप्रताप पुत्र बेगराज जाति छीपा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. बाबुराम पुत्र दुर्गाराम जाति महाजन निवासी बडबिराना तहसील नोहर
2. गुडडी देवी पुत्री झिण्डूराम जाति छीपा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर
3. गीता देवी पत्नि बलवानसिंह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
4. ज्ञानीराम पुत्र बेगराज जाति छीपा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर
5. दिक्षा पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
6. दिलावर सिं पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
7. नितिका पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
8. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. राजबाला पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. रानी देवी पुत्री झिण्डुराम जाति छीपा (छीपी) निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. रामचन्द्र पुत्र बलावान सिंह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. रितिका पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
14. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम


उपस्थिति :- श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता वादी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 27/05/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 90/88 के ख.न. 168/5 की 2.4030 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी सं. 1 अकेला 253/4806 हिस्सा, एवं वादी सं. 2 अकेला 1054/4806 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेला 2633/24030 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 अकेला 1142/4005 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 अकेला 7/801 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 अकेला 4217/120150 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 अकेला 211/24030 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 अकेला 2633/24030 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 अकेला 211/24030 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 अकेला 211/24030 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 अकेला 211/24030 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 अकेला 1142/4005 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 अकेला 253/4806 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 अकेला 211/24030 हिस्सा भूमि के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर से है वाद भूमि की कब्जा काश्त बाबत एवं सींव डोल लगान बाबत प्रतिवादीगण वादीगण से रोजना झगड़ा फसाद रखते है इसलिए वादीगण वाद भूमि का खाता व लगान अच्छी में से अच्छी व मन्दी में से मन्दी के हिसाब से अलहदा-अलहदा करवा पाने के अधिकारी है उपरोक्त आशयों की वादीगण घोषणा करा पान के अधिकारी है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की उक्त भूमि का किस्म के अनुसार खाता व लगान अलग तकसीम करवाकर खाता अलग से कायम करवा दे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 90/88 के ख.न. 168/5 की 2.4030 हैक्टर भूमि का वादीगण प्रतिवादीगण से अपना खाता व लगान अच्छी में से अच्छी व मन्दी में से मन्दी का अलहदा-अलहदा करवा पाने की अधिकारी है बाद खाता तकसीम अलग-अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 ता 12 जरिये अधिवक्ता उपस्थित शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 10 ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम इस आशय का पेश किया की वाद भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है लेकिन रास्ता की भूमि प्रतिवादी सं 2 व 10 की भूमि के चिपती हुई भूमि है। रास्ता के चिपते हुए भूमि प्रतिवादी सं 2, 10 की है जबकि वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होना चाहते है इसलिए वादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे एवं रास्ता के चिपती भूमि का प्रतिवादी सं 2 व 10 को खतोदार काश्तकार घोषित किया जावें। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है बहस सुनी जावे।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया कि मुताबिक काउंटर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 90/88 के ख.न. 168/5 की 2.4030 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


1. रानीदेवी पुत्री झिण्डुराम हिस्सा पूर्ण जाति छीपा (छीपी) सा. देह खातेदार — प.म. बड़बिराना के ग्राम बड़बिराना के खसरा न. 168/5/1 की 0.6860 हे. बारानी प्रथम भूमि कुल किता 1 की 0.6860 हे. बारानी प्रथम भूमि
2. गुड्डीदेवी पुत्री झिण्डुराम हिस्सा पूर्ण जाति-छीपा(छीपी) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-पूर्ण (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा दीपलाना — प.म. बड़बिराना के ग्राम बड़बिराना के खसरा न 168/5/2 की 0.6570 है, बारानी प्रथम खसरा न 168/5/7 की 0.0280 है. बारानी प्रथम भूमि कुल किता 2 की 0.6850 हे. बारानी प्रथम भूमि

उपजज्ज अधिकारी
नोहर

3. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल राजबाला पनि मांगीलाल रितिका दीक्षा नीतिका पुत्रीया मांगीलाल हि० 1055/2530 हि०, गीता देवी पत्नी बलवान सिंह हि० 21/253, रामचन्द्र पुत्र बलवान सिंह हि० 1265/2530 हि० जाति जाट सा० देह खातेदार – प.म. बड़बिराना के ग्राम. बड़बिराना के खसरा न. 168/5/3, की 0.1260 हे. बारानी प्रथम खसरा न. 168/5/4 की 0.03000 हैक्ट गै०मु० रास्ता, ख०न० 168/5/5 की 0.0970 हैक्ट बारानी प्रथम कुल 0.2530 हैक्ट
4. शोभाराम पुत्र बेगराज हिस्सा 126/253 ज्ञानीराम पुत्र बेगराज हिस्सा 84/253 साग्रमल पुत्र रामप्रताप सुमन पुत्री रामप्रताप सन्तोष पुत्री रामप्रताप हिस्सा 43/253-जाति छिम्पा सा. देह खातेदार – प.म. बड़बिराना के ग्राम बड़बिराना के खसरा न 168/5/6 की 0.2530 हे. बारानी प्रथम भूमि कुल कित्ता की 0.2530 हे. बारानी प्रथम भूमि
5. बाबुराम पुत्र दुर्गाराम हिस्सा 263/526 जाति महाजन दिलावर पुत्र सोहनलाल हिस्सा 263/526 जाति जाट सा. देह खातेदार – प०म० बड़बिराना के ग्राम बड़बिराना के ख०न० 168/5/8 की 0.5260 हे. बारानी प्रथम भूमि कुल कित्ता 1 प.म.: बड़बिराना के ग्राम बड़ बिराना के खसरा न: की 0.5260 हे. बारानी प्रथम भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 157/2023

अनवान : -

1. शोभाराम पुत्र बेगराज जाति छीपा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. रामप्रताप पुत्र बेगराज जाति छीपा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. बाबुराम पुत्र दुर्गाराम जाति महाजन निवासी बडबिराना तहसील नोहर
2. गुडडी देवी पुत्री झिण्डूराम जाति छीपा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर
3. गीता देवी पत्नि बलवानसिंह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
4. ज्ञानीराम पुत्र बेगराज जाति छीपा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर
5. दिक्षा पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
6. दिलावर सिं पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
7. नितिका पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
8. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. राजबाला पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. रानी देवी पुत्री झिण्डुराम जाति छीपा (छीपी) निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. रामचन्द्र पुत्र बलावान सिंह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. रितिका पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
14. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 157 सन 2023 निर्णय दिनांक 27/05/24

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 90/88 के ख.न. 168/5 की 2.4030 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. रानीदेवी पुत्री झिण्डुराम हिस्सा पूर्ण जाति छीपा (छीपी) सा. देह खातेदार - प.म.. बडबिराना के ग्राम बडबिराना के खसरा न. 168/5/1 की 0.6860 हे. बारानी प्रथम भूमि कुल किता 1 की 0.6860 हे. बारानी प्रथम भूमि
2. गुडडीदेवी पुत्री झिण्डुराम हिस्सा पूर्ण जाति-छीपा(छीपी) सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-पूर्ण (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा दीपलाना - प.म. बडबिराना के ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

- बड़बिराना के खसरा न 168/5/2 की 0.6570 है, बारानी प्रथम खसरा न 168/5/7 की 0.0280 है. बारानी प्रथम भूमि कुल कित्ता 2 की 0.6850 हे. बारानी प्रथम भूमि
3. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल राजबाला पनि मांगीलाल रितिका दीक्षा नीतिका पुत्रीया मांगीलाल हि0 1055/2530 हि0, गीता देवी पत्नी बलवान सिंह हि0 21/253, रामचन्द्र पुत्र बलवान सिंह हि0 1265/2530 हि0 जाति जाट सा0 देह खातेदार – प.म. बड़बिराना के ग्राम. बड़बिराना के खसरा न. 168/5/3, की 0.1260 हे. बारानी प्रथम खसरा न. 168/5/4 की 0.03000 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, ख0न0 168/5/5 की 0.0970 हैक्ट बारानी प्रथम कुल 0.2530 हैक्ट
4. शोभाराम पुत्र बेगराज हिस्सा 126/253 ज्ञानीराम पुत्र बेगराज हिस्सा 84/253 साग्रमल पुत्र रामप्रताप सुमन पुत्री रामप्रताप सन्तोष पुत्री रामप्रताप हिस्सा 43/253—जाति छिम्पा सा. देह खातेदार – प.म. बड़बिराना के ग्राम बड़बिराना के खसरा न 168/5/6 की 0.2530 हे. बारानी प्रथम भूमि कुल कित्ता की 0.2530 हे. बारानी प्रथम भूमि
5. बाबुराम पुत्र दुर्गाराम हिस्सा 263/526 जाति महाजन दिलावर पुत्र सोहनलाल हिस्सा 263/526 जाति जाट सा. देह खातेदार – प0म0 बड़बिराना के ग्राम बड़बिराना के ख0न0 168/5/8 की 0.5260 हे. बारानी प्रथम भूमि कुल कित्ता 1 प.म.: बड़बिराना के ग्राम बड़ बिराना के खसरा न: की 0.5260 हे. बारानी प्रथम भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर